

प्ररूप 1

उपदान, साधारण भवि-य निधि और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप
[केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 53, साधारण भवि-य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 का
नियम 5 और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 का पैरा 19.7 देखें]

मैं.....नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दि-ट करता हूं और उस/उन पर मेरी
मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दि-ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं: --

- (i) कोई उपदान, जिसका संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 के अधीन प्राधिकृत किया जाए ;
- (ii) कोई रकम, जो साधारण भवि-य निधि में मेरे खाते में हो ;
- (iii) कोई रकम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन स्वीकृत की जाए ।

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नामा निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं०

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i), (ii) और (iii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रवि-टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

(कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी..... पदनाम.....कार्यालय.....द्वारा
किए गए नाम निर्देशन, तारीख....., प्राप्त किए, -

1. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972
2. साधारण भवि-य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960
3. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृ-ठ.....खंड..... पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रवि-ट कर ली
गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष /प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहित
प्राप्ति की तारीख.....

प्ररूप क

(पेंशन बकाया और पेंशन संराशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप)

[पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

मैं.....नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दि-ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दि-ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : --

(i) पेंशन का बकाया ;

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख (जन्म तारीख) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं०

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रवि-टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

(कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी..... पदनाम.....कार्यालय.....द्वारा
किए गए नाम निर्देशन, तारीख....., प्राप्त किए,-

1. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983
2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृ-ठ.....खंड..... पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रवि-टि कर ली
गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम
प्राप्ति की तारीख.....